

Title: Need to make river Yamuna in Delhi pollution free.

श्री रमेश बिधूरी (दिल्ली) : मैं सरकार का द्यान प्रदूषित हो रही यमुना और छायां करोड़ रुपए खर्च होने के बाद भी यमुना की बदहाल रिथिति की ओर दिल्ला वाढ़ता हूँ। यमुना छाये देश में धार्मिक महत्व रखने वाली प्रमुख नदियों में से एक है। ज्ञाए देश में नदियों को एक विशेष महत्व दिया जाता है। यहाँ तक कि "मां" की संज्ञा दी जाती है तोकिन दिल्ली में यमुना की दुर्दशा को देखा मन व्यथित होता है। दुखद बात है कि यमुना दिल्ली में आज केवल मात्र नाला बनकर रह गई है। दिल्ली सरकार और संबंधित विभागों के तुलनात्मक रूप से अधिक तथा अपेक्षित इच्छाज्ञिति की कमी के कारण आज छायां करोड़ रुपये खर्च होने के बाद भी यमुना की इतनी खराब रिथिति है। यमुना नदी के तल पर हो रहे अतिक्रमण पर नकेत न करी जाने की वजह से कुछ जगह यमुना नदी का तल मात्र 800 मीटर ही रह गया है। यमुना की बाढ़ से प्रभावित होने वाली जमीन को दिल्ली में बल रहे निर्माण और अन्य चीजों के मतवे का डिमिंग वार्ड बना दिया गया है। वर्ष 2010 में आई यमुना नदी में बाढ़ के बाद 28 अक्टूबर, 2010 को गुनगत प्लास द्वारा ली गई तरसीर में यमुना नदी के जल निकाय स्पष्ट रूप से दिखाइ दे रहे थे तोकिन मात्र एक साल में उनपर मतवा डाल द्युमियाँ बनाकर अतिक्रमण कर दिया गया जिसके संदर्भ में कोई कार्यवाही नहीं की गई। यही रिथिति यमुना नदी के आस-पास हर जगह बनी ठुर्ड है। यमुना दिग्गजालय की गोट से निकलकर उत्तराखण्ड, दिग्गजाल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश होते हुए 1370 किलोमीटर की दूरी तय करती है। दिल्ली में यमुना की तंबाई 48 किलोमीटर है जो यमुना की तंबाई का केवल 3 प्रतिशत है। तोकिन जो ठोस अवशेष और सीधेज दिल्ली में यमुना में डाला जाता है, वह 3800 मीट्रिक टन है जो यमुना को 76 प्रतिशत प्रदूषित करता है। दिल्ली में यमुना को तीन आगों में बैंटा गया है। प्रथम, 26 किलोमीटर पल्ला से वजीरबाद बैराज, द्वितीय, 22 किलोमीटर वजीरबाद बैराज से ओखला बैराज तथा तृतीय, 4-5 किलोमीटर ओखला बैराज से जैनपुर गांव। वजीरबाद बैराज से ओखला बैराज के इस भाग में यमुना नदी के तल (पलड़ प्लैन) में सबसे ज्यादा अतिक्रमण कर यमुना से खिलवाड़ दिया जा रहा है। सबसे ज्यादा अधियांगित कालोमियाँ यमुना के इसी भाग पर हैं। अशोधित घेरेतू और औद्योगिक अवशेष को यमुना में प्रवाहित करने के कारण आज यमुना इतनी प्रदूषित है तथा उसी के साथ धार्मिक स्थल बनाकर कुछ लोग उसका सहारा लेते हैं। छाया शासन - प्रशासन शेकुलरिजन के कारण इस अतिक्रमण को बढ़ावा दे रहा है। दिल्ली काई कोर्ट के आदेश के बावजूद शासन पंगु बना हुआ है। अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि जनहित में यमुना नदी को प्रदूषित होने से बचाने के लिए तत्काल पर्याप्त कदम उठाए जाएं।